

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 97/2023

In re: News item published in Google News dated 07.02.2023 entitled Mining in Border : In 250 meter distance, mafia are digging 'tunnel' everyday mining of 150 Trucks of Gypsum

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondent

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply	
	Documents	
2.	Annexure-R-1/1 Copy of ME, Bikaner letter dated 14.02.2023	



Nishant Awana

NISHANT AWANA (ADVCOATE)
COUNSEL FOR THE RESPONDENT
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
[Signature]
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 97/2023

In re: News item published in Google News dated 07.02.2023 entitled Mining in Border : In 250 meter distance, mafia are digging 'tunnel' everyday mining of 150 Trucks of Gypsum

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondent

**REPLY ON BEHALF OF RAJASTHAN STATE POLLUTION
CONTROL BOARD I.E. RESPONDENT NO. 1**

MAY IT PLEASE THIS HON'BLE TRIBUNAL:

The humble answering-respondent most respectfully submit the reply as under:-

1. That the Hon'ble Tribunal has taken suo moto cognizance of news paper article regarding illegal mining of Gypsum near 250 meter of border and issued notice dated 09.02.2023.
2. That the answering respondent has not issued consent to any mining lease within 01 km. of the border.
3. That the Mining Engineer, Bikaner after seeking permission from Border Security Forces visited the area and submitted a report to the District Collector, Bikaner vide letter dated 14.02.2023. As per the report 172.5 tonnes of Gypsum has been illegally excavated and for that penalty of Rs. 296000/- has been collected. Further, the mining department has also not allotted any mining lease within 01 km. of the border. The copy of ME,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
[Signature]
22/2/23
**CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA**

Bikaner letter dated 14.02.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-R-1/1**.

Prayer


It is, therefore, most humbly prayed that in view of submission mentioned herein above the reply on behalf of respondent no. 1 may kindly be taken on record and the original application be dismissed.



HUMBLE RESPONDENT
THROUGH HIS COUNSELS


(Nishant Awana)
ADVOCATE


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर

क्रमांक:-खअ/बीका/अना/2022-23 / 345

दिनांक:-14/02/2023

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर।

विषय:-Notice of hearing in Suo motu matter in re: News item published in Google news dated 07-02-2023 entitled "बॉर्डर पर खनन: 250 मीटर दूर माफिया खोद रहे सुरंग, रोजाना 150 ट्रक जिप्सम का खनन (Mining in Border: in 250 meter distance, Mafia are digging "tunnel" everyday mining of 150 trucks of gypsum).

प्रसंग:-नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, दिल्ली जरिये मेल दिनांक 09.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर जिले में खनिज जिप्सम सतह पर से अधिकतम 02 से 03 मीटर गहराई तक उपलब्ध है। खनिज जिप्सम सतह पर आसानी से उपलब्ध होने एवं कठोर खनिज नहीं होने से इसका खनन आसानी से जेसीबी मशीन से किया जा सकता है। खनन कार्य हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री एवं ड्रिलिंग का उपयोग नहीं किया जाता है।

बीकानेर जिले में भूमि सुधार हेतु वर्ष 2017 से अब तक कुल 411 परमिट पाँच वर्ष हेतु जारी किये गये थे। जिनमें से 202 की पाँच वर्षीय अवधि समाप्त हो गई एवं वर्तमान में 209 परमिट एवं 36 खननपट्टे प्रभावी हैं, जिनकी अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	स्वीकृत जिप्सम परमिट / खननपट्टे	अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी (0 से 1 किमी तक)	अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी (1 से 10 किमी तक)	अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी (10 से अधिक किमी तक)	कुल
1	जिप्सम खननपट्टा	0	6	30	36
2	जिप्सम परमिट	0	87	122	209

1. आरएमएमसीआर के नियम 52 के तहत भूमिधारक/कस्तकार/खातेदार को भूमि सुधार हेतु खनिज जिप्सम परमिट जारी किये जाते हैं चूंकि खनिज जिप्सम भूमि में पानी के अवरोधक का कार्य करता है जिस वजह से पानी जमीन के अन्दर नहीं जाता जिससे जिस भूमि में खनिज जिप्सम सतह पर उपलब्ध होता है, उस भूमि में खेती/फसल न के बराबर होती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा भूमिधारक/कस्तकार/खातेदार को भूमि सुधार हेतु खनिज जिप्सम परमिट जारी किये जाते हैं (प्रति संलग्न)

2. खनिज जिप्सम का उपयोग पीओपी निर्माण एवं सीमेंट फैक्ट्रियों में किया जाता है। उच्च क्वालिटी का जिप्सम पीओपी फैक्ट्रियों में जाता है। खनिज जिप्सम के डीलर्स के पंजीयन एवं ई-टी.पी. के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.06.2022 से ई-टी.पी. को लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत पीओपी फैक्ट्री धारकों को डीलर का पंजीकरण करवाने के पश्चात

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
22/2/23
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

की प्रति सलग्न)। गृह विभाग 01 से 10 किमी. के क्षेत्र में खनिज जिप्सम परमिट जिन भी खातेधारकों को जारी किये गये हैं, उनको भी पुलिस वेरिफिकेशन के पश्चात ही खनन की अनुमति इस कार्यालय के द्वारा दी जाती है।

6. इस कार्यालय बीकानेर जिले में खनिज जिप्सम का 47.12 करोड़ रुपये वार्षिक अधि आधिशुल्क वसूली हेतु ठेका स्वीकृत है। जिप्सम के खननपट्टे व परमिट से प्रतिदिन औसतन 7800 टन खनिज का निर्गमन किया जा रहा है।

बॉर्डर क्षेत्र के 01 किमी. तक की दूरी बीएसएफ के निगरानी क्षेत्र में है जिसके कारण बिना बीएसएफ की अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। कार्यालय तकनीकी दल भी बीएसएफ को सूचित कर चैकिंग हेतु जाता है। अन्तराष्ट्रीय सीमा में डिग्गी निर्माण हेतु बीएसएफ बीकानेर द्वारा निकट ग्राम 25 बीएसएम बज्जू, 18 डीडब्ल्यूडी आनंदगढ़ व 25 एमजीएम हेतु अनुमति चाही गई थी। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की स्वीकृति प्राप्त थी, परन्तु इस कार्यालय द्वारा उक्त क्षेत्र अन्तराष्ट्रीय सीमा से 1 किमी तक की दूरी में आने के कारण स्वीकृति हेतु मनाही कर दी गई।

दिनांक 06.02.2023 को प्रकाशित समाचार "बॉर्डर पर खनन: 250 मीटर दूर माफिया खोद रहे सुरग, रोजाना 150 ट्रक जिप्सम का खनन" चुकि प्रकाशित समाचार में वर्णित स्थल भारतीय सीमा के 0 से 1 किमी. के अन्दर आता है जहाँ पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 निरन्तर प्रभावी है जिसके अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में कर्तव्यरत एवं वहाँ के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का आवागमन बिना सक्षम अनुमति निषिद्ध है।

प्रकाशित समाचार में वर्णित स्थल की जाँच हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना रणजीतपुरा, हलका पटवारी राववाला एवं कार्यालय के तकनीकी दल द्वारा भारतीय सीमा की मारुति पोस्ट पर पहुँचकर भारतीय सीमा 0 से 1 किमी. के अन्दर निरीक्षण की अनुमति बीएसएफ के अधिकारियों से प्राप्त कर खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण खातेदारी भूमि में खनन कार्य बन्द पाया गया तथा पूर्व में खनन किया जाकर क्षेत्र को समतल किया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में रोजाना 150 ट्रक जिप्सम का अवैध खनन होना बताया गया है। जबकि वक्त निरीक्षण मौके पर 1725 टन खनिज जिप्सम का अवैध खनन कर खनिज निर्गमित होना पाया गया जिसकी 10 गुना पैनल्टी मय कम्पाउण्ड राशि रु. 296000 वसूल की गई एवं 177 के तहत खातेदारी निरस्त हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बज्जू को पत्र प्रेषित किया गया।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर.एस.बलारा)

खनि अभियन्ता, बीकानेर



क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
27/2/23
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 29, शुक्रवार, शाके 1944-अक्टूबर 21, 2022 <i>Asvina 29, Friday, Saka 1944- October 21, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

Mines & Petroleum Department

NOTIFICATION

Jaipur, October 21, 2022

G.S.R.90 .-In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rule may be called the Rajasthan Minor Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 5.- In sub-rule (4) of rule 5 of the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "sixty eight months", wherever occurring, the expression "seventy three months" shall be substituted.

3. Substitution of rule 12.- The existing rule 12 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"12. Prerequisites for e-auction of mineral concession.- The area where a mineral concession is proposed to be granted through auction, prior to issuance of notice inviting bid, the Government shall identify and demarcate the area using global positioning system or global navigation satellite system and the area so demarcated shall be classified into forests land and government land:

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
 22/10/22
 CENTRAL NOTARY
 BIKANER (RAJ)
 INDIA

CENTRAL NOTARY
 Advocate
 Brij Mohan Jaiswal
 BIKANER
 Regd. No. 471
 INDIA

Provided that in case of mineral bajri (river sand), identification and demarcation of the area may be done by using global positioning system or global navigation satellite system or khasra-wise.

Provided further that the Director may reserve upto two plots per district per year of mineral masonry stone exclusively for establishment of M-sand unit".

4. Amendment of rule 52.- The existing sub-rule (3) of rule 52 of the said rules shall be substituted by the following, namely :-

"(3) For extraction or removal of gypsum from agriculture land for improvement of land.-

- (i) notwithstanding anything contained in these rules, permit for excavation and removal of gypsum from the khatedari land shall be granted to the khatedar for improvement of his land:

Provided that permit shall not be granted where the deposition of the gypsum is more than three meters from the surface.

Provided further that the permit shall not be granted for an area exceeding five hectares and for a period exceeding five years.

- (ii) application for permit shall be made online by the khatedar to the concerned Mining Engineer/Assistant Mining Engineer.
- (iii) every online application for grant of gypsum permit shall be accompanied with the scanned copy of following documents, namely :-
- (a) copy of PAN card;
- (b) copy of driving license or voter identification card or aadhar card for photo identity and address proof;
- (c) copy of plan and description report of the applied area with latitude and longitude in WGS 84 Datum of all the corner pillars of the applied area;
- (d) copy of revenue details of the applied area with khasara naksha trace, khasara or araji number, jamabandi and extent of the area of the khasara or araji falling in the applied area along with superimposed map;
- (e) copy of partnership deed and firm registration certificate where khatedar is a partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932 or Limited Liability Partnership Act, 2008 and a copy of memorandum

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
22/10/22
CENTRAL NOTARY
SIKANER (RAJ)
INDIA

of association, articles of association and certificate of incorporation in case of company registered under the Companies Act, 2013:

- (f) copy of resolution passed by the board of directors in favour of a person who is authorized to sign the application on behalf of the company, where applicant khatedar is a company;
- (g) copy of registered power of attorney in favour of a person who is authorized to sign the application, on behalf of the firm or association of persons where application is not signed by all the partners or persons, as the case may be, where applicant khatedar is a firm or association of persons;
- (h) recent passport size color photo of applicant khatedar and all the partners, members or directors where applicant khatedar is a firm or association of person or company, as the case may be;
- (i) copy of no dues certificate from the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer, concerned, if the applicant khatedar or his/her family member holds or has held any mineral concession or royalty or excess royalty collection contract in the State:

Provided that such certificate shall also be furnished by all the members of association of person or all the partners of the partnership firm or all the directors of the private limited company, where applicant khatedar is a association of person or partnership firm or a private limited company, as the case may be. A no dues certificate shall also be submitted by the company or undertaking in case of limited company or Government undertaking, as the case may be.

Provided further that where any injunction has been issued by any competent court or authority staying recovery of dues, non-payment thereof shall not be treated as a disqualification for the grant of a permit.

Provided also that no dues certificate shall not be required where the applicant khatedar, partners of a firm, directors of the private limited company, members of association of persons, limited company or Government undertaking have furnished an affidavit to the satisfaction of the Government, stating that he/she/it or his/her family member does

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
(राजस्थान)


ATTESTED
22/10/22
CENTRAL NOTARY
SIKANER (RAJ)
INDIA

425

not or did not hold any mineral concession, royalty or excess royalty collection contract in the State;

- (j) an affidavit giving particulars of areas already held by the applicant khatedar under mineral concession including the area held jointly with other persons, area applied but not granted or granted but license or permit is not issued or lease deed is not executed or registered;
- (k) E-mail address and mobile number of an individual or all members of association of persons or firm or all partners of the partnership firm or company or all the directors of the company or Government undertakings, as the case may be;
- (iv) duly signed application along with self-certified documents as mentioned in clause (iii) shall be physically submitted to the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned, within a period of fifteen days from the date of its online submission and same shall be acknowledged by the office concerned;
- (v) on receipt of application for permit, pre-demarkation of the area shall be done by the departmental officials in presence of applicant khatedar and halka patwari within fifteen days of receipt of the application;
- (vi) after pre-demarkation, the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned shall, inspect the area within fifteen days along with Senior Geologist or Geologist and submit their recommendation regarding depth of gypsum deposition, quantity of gypsum, necessity of removal of gypsum from the land for which permit is applied;
- (vii) the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned shall, within seven days of submission of joint inspection report, inform the applicant khatedar to submit scheme of mining and other requisite NOC, if applicable, issued by the competent authority and deposit the security amount of rupees fifty thousand in the form of fixed deposit receipt of any Nationalized or Scheduled bank or National Saving Certificates pledged in favour of the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned;


 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED

 27/12/22
 CENTRAL NOTARY
 BIKANER (RAJ)
 INDIA

भाग 4 (ग)

(viii) on completion of the formalities mentioned in clause (vii) above, the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned shall issue permit to the khatedar and also issue on-line rawanna for dispatch of mineral after deposition of the following amount:-

- (a) permit fee at the rate of rupees one thousand + rupee one per tonne of mineral to be dispatched;
- (b) royalty as per Schedule II;
- (c) premium amount at the rate of rupees one hundred per tonne of mineral to be dispatched;
- (d) contribution to the District Mineral Foundation Trust as per the rates specified in the Rajasthan District Mineral Foundation Trust Rules, 2016, as amended from time to time; and
- (e) contribution to the Rajasthan State Mineral Exploration Trust as per the rates specified in the Rajasthan State Mineral Exploration Trust, 2020, as amended from time to time;

Provided that where royalty collection contract or excess royalty collection contract is awarded, amount mentioned in sub-clause (b), (c), (d) and (e) may be collected by the contractor at approved nakas from vehicles carrying mineral gypsum:

- (ix) the permit holder shall remove the mineral gypsum as per terms and conditions specified in the permit. The permit holder shall not dispatch mineral in excess of quantity specified in the permit:

Provided that, if the permit holder has dispatched mineral in the excess of ten percent of quantity specified in the permit, entire quantity in excess of quantity specified in the permit shall be treated as illegal and shall be charged at the rate of ten times of the royalty;

- (x) the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned may refuse to grant permit after recording reasons and same shall be communicated in writing to the applicant khatedar.
- (xi) the permit holder khatedar shall not,-
 - (a) assign, sublet, mortgage or transfer the permit in any other manner or any right, title or interest therein; and
 - (b) enter into, or make any arrangement, contract or understanding whereby the permit holder will or may be directly or indirectly

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

financed to a substantial extent and by or under which the excavations will or may be substantially controlled by any person or body of persons other than the permit holder;

- (xii) in case of any violations of terms and conditions of the permit, the permit shall be cancelled by the Mining Engineer/ Assistant Mining Engineer concerned after taking approval of Superintending Mining Engineer concerned, with forfeiture of security with immediate effect; and
- (xiii) the permit holder shall submit quarterly records to the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer concerned for assessment of royalty."

[No. F.14(1)Mines/Gr.II/2011-Pt.IV]

By order of the Governor,

Neetu Barupal,

Dy. Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

22/2/23

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निखामू/सीसी-4/जिप्सम ई-टी.पी./2022-23/2853

दिनांक: 07.06.2022

खनिज जिप्सम के डीलर्स के पंजीयन एवं ई-टी.पी. के सम्बन्ध में गाईडलाईन

खनिज जिप्सम के डीलर्स के पंजीयन तथा ई-टी.पी. जारी करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश एवं पत्रों के अतिक्रमण में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम-81ए(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार गाईडलाईन जारी की जाती है :-

- (1) खनिज जिप्सम की खरीद, बिक्री, भंडारण, वितरण या प्रसंस्करण के व्यवसाय के लिए डीलर के रूप में नए पंजीयन के लिए ऑनलाईन आवेदन गाईडलाईन के साथ सलग्न फार्म-ए में विभागीय वेबसाइट पर निम्नानुसार पूर्तियां करते हुये प्रस्तुत किया जाएगा :-
 - (i) नए पंजीयन के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रुपये 2,000/-
 - (ii) कोर्डिनेट्स के साथ स्टॉक यार्ड का लोकेशन मेप मय खसरा रिकार्ड।
 - (iii) स्टॉक यार्ड की भूमि का पट्टा या रेन्ट एग्रीमेन्ट।
 - (iv) स्टॉक यार्ड पर भंडारित खनिज की मात्रा, यदि है तो।
- (2) विभाग में पहले से पंजीकृत डीलर्स को गाईडलाईन जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि में पंजीयन के लिए बिन्दु संख्या (1) के अनुसार आवेदन करना होगा। यद्यपि पहले से पंजीकृत डीलर्स को बिन्दु संख्या (1) में उल्लेखित आवेदन शुल्क 2,000/- रुपये के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में पंजीकृत डीलर्स के स्टॉकयार्ड में खनिज उपलब्ध नहीं होने पर इस गाईडलाईन के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिवस में खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा पुनः पंजीयन किया जावेगा।
- (3) पूर्व में पंजीकृत डीलर द्वारा नवीन स्टॉकयार्ड को पंजीकृत करने हेतु बिन्दु संख्या (1) के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने पर स्टॉकयार्ड के कोर्डिनेट्स एवं भंडारित खनिज का मौके पर तीस दिवस की अवधि में भौतिक सत्यापन किया जायेगा। मौके पर खनिज नहीं पाये जाने पर एवं दस्तावेजों के सत्यापन होने के पश्चात् सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा नवीन लोकेशन का पंजीयन किया जावेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
23/7/23
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

- (4) बिन्दु संख्या (1) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदक पी.ओ.पी./प्रोसेसिंग यूनिट धारक है तथा आवेदक द्वारा स्टॉक यार्ड में खनिज जिप्सम होना दर्शाया जाता है तो आवेदक को स्टॉक में उपलब्ध खनिज की रॉयल्टी भुगतान के साक्ष्य व खनिज को स्टॉक किये जाने की अवधि के दौरान ही आवेदक द्वारा पी.ओ.पी./प्रोसेस कर विक्रय किये गये खनिज के समस्त टैक्स इनवॉइस, जी.एस.टी. रिटर्नस् व यूनिट के बिजली के बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा खनिज का अवैध खनन व दुरुपयोग नहीं होने व प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सही होने का शपथ पत्र पेश करना होगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों व स्टॉक में पाये गये खनिज की मात्रा यदि 500 मै. टन से कम है, तो उक्त दस्तावेजों तथा स्टॉक में पाये गये खनिज का सत्यापन सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त द्वारा किया जायेगा। स्टॉक में पाये गये खनिज की मात्रा 500 मै. टन या अधिक पायी जाती है तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन उक्त स्टॉक यार्ड के खनिज का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन के स्तर से किया जायेगा। खनिज की मात्रा के सत्यापन में विवाद की स्थिति होने पर समस्त खनिज मात्रा का विभागीय एम्पेनल्ड तुला यंत्रों पर तुलाई करा निस्तारण किया जावेगा।

अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त या अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन की अनुशंसा के पश्चात् तथा वार्षिक शुल्क राशि रूपये 25,000/- जमा होने के पश्चात् सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा डीलर को एक वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकेगा। पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म बी में ऑनलाईन जारी होगा।

(5) डीलर द्वारा पंजीयन की एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वार्षिक शुल्क की राशि रूपये 25,000/- जमा कराने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये पंजीयन रचत ही बढ़ जायेगा, जिसका नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म-बी में ऑनलाईन जारी होगा।

(6) नये डीलर के पंजीयन के समय में ऐसे मामलों में जिनमें विभाग को सूचित किये बिना ऑनलाईन दर्शाये बिना खनिज जिप्सम का स्टॉक किया है तो ऐसे किसी व्यक्ति, पीओपी/प्रोसेसिंग इकाई को उसकी वार्षिक रूप से बिक्री, प्रोसेस क्षमता जो उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित हो जाये, को माहवार के रूप में गणना के आधार पर 3 माह से अधिक खनिज मात्रा को ओपनिंग स्टॉक नहीं माना जाये तथा इससे अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति, पीओपी/प्रोसेस इकाई के पास खनिज पाया जाये तो उसे जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


ATTESTED
22/7/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

- (7) संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा कारण अंकित करते हुए किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को डीलर के रूप में पंजीकृत करने से इनकार किया जा सकता है, जिसकी सूचना आवेदक को ऑनलाईन दी जावेगी।
- (8) उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही होने के उपरान्त विभाग में पंजीकृत/पुनः पंजीकृत डीलर्स को ही खनिज जिप्सम के परिवहन हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के साथ संलग्न फार्म-सी में ई-टी.पी. जारी की जायेगी।
- (9) पंजीकृत डीलर निम्नलिखित शर्तों की पालना हेतु बाध्य होगा:-
- डीलर को सर्वप्रथम एस.एस.ओ. आईडी बनवानी होगी। एस.एस.ओ. आईडी राज्य सरकार की वेबसाइट <http://sso.rajasthan.gov.in> पर बनाई जा सकती है।
 - पंजीयन के पश्चात् ई.टी.पी. जारी करने से पूर्व पी.ओ.पी./प्रोसेसिंग यूनिट धारक डीलर को स्टॉक यार्ड पर उपलब्ध समस्त रॉयल्टी पैड खनिज की मात्रा का प्रारम्भिक शेष स्वयं घोषणा के साथ ऑनलाईन इन्द्राज करना होगा। प्रारम्भिक शेष के साक्ष्य से सम्बन्धित दस्तावेजों को तीन वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा विभाग द्वारा चाहे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भिक शेष में उल्लेखित खनिज के रॉयल्टी पैड दस्तावेजों में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने का समस्त दायित्व डीलर का होगा तथा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - डीलर द्वारा ई-रवन्ना के अतिरिक्त अन्य माध्यमों यथा विदेश अथवा अन्य राज्यों से आयात करने पर उसका इन्द्राज स्वयं को ऑनलाईन दर्ज करना होगा तथा इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों को तीन वर्ष तक के लिये सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा विभाग द्वारा चाहे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा। खनिज के रॉयल्टी पैड दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समस्त दायित्व संबंधित डीलर का होगा तथा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - ई-टी.पी. जारी करने से पूर्व खनिज वाहनों का इन्द्राज विभागीय ऑनलाईन व्हीकल मास्टर्स में परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार करना होगा एवं खनिज क्रेताओं का इन्द्राज विभागीय ऑनलाईन क्लाइन्ट मास्टर में करना होगा। इसके अतिरिक्त परिवहन मार्ग पर स्थित विभागीय अधिकृत तुलायंत्रों को सलेक्ट करते हुए लिंक किया जाना आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

- (v) डीलर द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सर्वप्रथम खनिज की अन-कन्फर्म ई-टी.पी. जारी की जायेगी, जिसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से वाहन चालक के मोबाईल पर प्रेषित होगी। उक्त वाहन को अधिकतम तीन घण्टों में निकटतम तीन विभागीय एम्पेनल्ड तुलायंत्र में से किसी एक पर वास्तविक वजन के लिये ले जाना आवश्यक होगा। तुलायंत्र पर वास्तविक वजन होने के पश्चात कन्फर्म ई-टी.पी. जनरेट होगी, जिसकी सूचना संबंधित वाहन चालक के मोबाईल पर प्रेषित होगी। तुलायंत्र से गन्तव्य स्थल तक खनिज का परिवहन उक्त कन्फर्म ई-टी.पी. के एस.एम.एस. के जरिये किया जा सकेगा।
- (vi) डीलर द्वारा ई-स्वन्ना/ई-टी.पी. के माध्यम से प्राप्त खनिज की मात्रा स्टॉक में स्वतः दर्ज होगी। इसी प्रकार ई-टी.पी. में अंकित खनिज की मात्रा स्टॉक से स्वतः ही कम होगी। ऑनलाईन सिस्टम में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही ई-टी.पी. जारी की जा सकेगी।
- (vii) विभागीय अधिकारियों/अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा खनिज वाहनों को चैक करने पर ड्राइवर के मोबाईल में उपलब्ध एस.एम.एस. अथवा मोबाईल एप के माध्यम से वाहन नम्बर अंकित कर प्रमाणीकरण किया जायेगा। परिवहन के दौरान ई-टी.पी. की हार्ड कॉपी साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा।
- (viii) डीलर को खनिजों के क्रय/विक्रय के सम्बन्ध में मासिक ई-विवरणी फार्म-डी में ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- (ix) डीलर किसी भी अधिकृत व्यक्ति को अनुमति देने हेतु बाध्य रहेगा कि अधिकृत व्यक्ति :-
- (क) खनिज प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, भवन, कार्यालय या किसी प्रासंगिक परिसर सहित स्टॉकयार्ड में प्रवेश और निरीक्षण करे;
- (ख) स्टॉकयार्ड में पड़े खनिज/खनिजों और/या इसके उत्पादों के स्टॉक का सर्वेक्षण, वजन एवं माप ले;
- (ग) डीलर या किसी अन्य व्यक्ति के पास सम्बन्धित दस्तावेजों, पुस्तकों, रजिस्ट्रों या प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करे और इनका उद्धरण ले या प्रतियां बनाने;
- (घ) डीलर या उससे सम्बन्धित व्यक्ति की जांच करे;
- (ङ) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी एकत्र करे;

ATTESTED

 CENTRAL NOTARY
 BIKANER (RAJ)
 INDIA



 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

- (च) किसी भी खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करे।
- (x) डीलर खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के प्रावधानों, राज्य सरकार/निदेशक द्वारा समय-समय पर जारी सभी अधिसूचनाओं, आदेशों, गाईडलाइन्स एवं परिपत्रों का पालन करेगा।
- (xi) डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताओं पर सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा प्रारंभिक जांच पश्चात रजिस्ट्रेशन डी-एक्टीवेट किये जाने के प्रस्ताव सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता को प्रेषित किये जायेंगे, जिसके उपरान्त अधीक्षण खनि अभियन्ता स्तर से वार्षिक फीस जब्त करते हुये रजिस्ट्रेशन डी-एक्टीवेट किया जावेगा:-
- (क) रवन्नाओं का दुरुपयोग जैसे बन्द खानों के रवन्नाओं के माध्यम से खनिज का स्टॉक करना।
- (ख) ई-टी.पी. कन्फर्म (तुलाई होने) के बाद वाहन को पुनः तुलवाये जाने पर वजन में 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाये जाने पर।
- (ग) रजिस्टर्ड डीलर द्वारा वाहन में भरे गये खनिज से भिन्न खनिज की ई-टी.पी. जारी किया जाना पाये जाने पर।
- (घ) भौतिक एवं ऑनलाईन सिस्टम में उपलब्ध खनिज मात्रा में भिन्नता पाये जाने पर।
- (ङ) डी.एम.जी.ओ.एम.एस. का अन्य प्रकार से दुरुपयोग करने पर।
- (xii) उपरोक्तानुसार अनियमिततायें पाये जाने पर डी-एक्टीवेट किये गये पंजीयन के क्रम में सम्बन्धित डीलर द्वारा आईडी पुनः एक्टीवेट करने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन का निस्तारण सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता के स्तर पर किया जायेगा। सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता प्राप्त प्रतिवेदन पर जांच कर अनियमितता के निराकरण होने/स्पष्टीकरण संतोषप्रद होने/देय शास्ती व अन्य राशि जमा होने के पश्चात प्रतिवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने व आईडी पुनः एक्टीवेट करने/नहीं करने का स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जावेगा व डीएमजीओएमएस सिस्टम पर अपलोड करेंगे।

8
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA
22/2/22

- (xiii) अधीक्षण खनि अभियन्ता के निर्णय से असंतुष्ट होने पर डीलर द्वारा सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (जोन) के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त अतिरिक्त निदेशक (जोन) द्वारा अपने स्तर से प्रकरण की जांच कर गुणावगुण के आधार पर अधिकतम 7 दिवस में एक्टीवेट करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में निर्णय किया जावेगा व निर्णय डीएमजीओएमएस सिस्टम पर अपलोड करेंगे।
- (xiv) दो से अधिक बार उपरोक्तानुसार अनियमितताओं के आधार पर पंजीयन डी-एक्टीवेट करने की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान), जोन द्वारा पंजीयन निरस्त (रद्द) किया जा सकेगा।


 (डॉ. कुंज बिहारी पण्ड्या),
 आई.ए.एस
 निदेशक,
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
 राजस्थान, उदयपुर


 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण निगम



ATTESTED

 CENTRAL NOTARY
 SIKANER (RAJ)
 INDIA
 22/2/23

बैठक कार्यवाही विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से उचित दूरी पर किसानों को भूमि सुधार हेतु खेतों से जिप्सम की परत हटाने हेतु किसानों को परमिट जारी करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2017 को आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री दीपक उप्रेती, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
2. श्रीमती अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग
3. श्री अनिल पालीवाल, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान, जोधपुर
4. श्री अनिल गुप्ता, जिला कलक्टर, बीकानेर
5. श्री सवाई सिंह गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
6. श्री इकबाल, शासन संयुक्त सचिव, खान विभाग
7. श्री धर्मेन्द्र लोहार, अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर
8. श्री संजय दुबे, अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, खान विभाग
9. श्री जे.पी. जाखड, खनि अभियंता, बीकानेर

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, खान द्वारा अवगत कराया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने पत्र दिनांक 05.05.2017 से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर तक आंतरिक सुरक्षा को खतरा होने से जिप्सम के नये परमिट जारी नहीं करने व इस सीमा में जिप्सम के प्रभावी खनन पट्टों में खनन कार्य बंद कराने हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर लिखा है। 10 किलोमीटर तक परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का संयुक्त सर्वे कार्य भी सीमा सुरक्षा बल द्वारा मौके पर रोक दिया गया है। 10 किलोमीटर तक खनिज जिप्सम के 6 खनन पट्टे स्वीकृत होकर प्रभावशील हैं, जिसमें से एक खनन पट्टा वर्ष 2001 से एवं एक अन्य खनन पट्टा क्षेत्रफल 280.50 हैक्टेयर सर्वश्री आर.एस.एम.एम.एल. का वर्ष 2011 से स्वीकृत है। इन खनन पट्टों में काम करने वाले श्रमिकों के फोटो पहचान पत्र संबंधित थानों में जमा करा रखे हैं एवं उक्त सभी खनन पट्टाधारियों को पाबंद कर रखा है कि खनन कार्य प्रातः 6:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक ही करेंगे। उक्त खनन पट्टों में खनन गतिविधियां के संबंध में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पूर्व में कोई आपत्ति नहीं की गई है। वर्तमान में प्रभावशील खनन पट्टों से खनिज जिप्सम का उत्पादन मांग के अनुरूप काफी कम होने के कारण अवैध खनन की संभावना बनी रहती है। यदि नियमों के तहत किसानों को परमिट जारी नहीं हो पाते हैं तो जिप्सम सतह पर होने के कारण अवैध खनन की संभावना रहेगी।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक के पत्र दिनांक 05.05.2017 पर चर्चा की गई। उक्त पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि परमिट जारी करने से आन्तरिक सुरक्षा को खतरा कैसे उत्पन्न होगा, इस संबंध में उनके द्वारा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर दूरी तक खनन गतिविधियों को बंद करने बाबत किन नियमों के तहत लिखा गया है, इस संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों को उनकी जमीनों पर नियमानुसार खेती करने हेतु जिप्सम की परत हटाना उनकी आजीविका से संबंधित होकर उसे रोका जाना उनके मौलिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को भूमि सुधार हेतु जिप्सम की परत हटाने के परमिट जारी करने की कार्यवाही नीति और नियमों के तहत की जा रही है, जिसे अवांछित गतिविधि नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले को जिला पुलिस के पत्र के हवाले से रोका जाना कदापि उचित नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED
22/5/23
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ने बोर्डर से 10 किलोमीटर की सीमा में किसानों को उनकी खातोदारी भूमि में परमिट जारी नहीं करने के आधार के संबंध में जानकारी चाही। प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ने जिला कलक्टर, बीकानेर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस संबंध में रेगुलेशन तय करने का सुझाव दिया तथा ऐसे प्रावधान तय करने को कहा कि जिसके तहत बोर्डर निषेध क्षेत्र के नियम भी ना टूटे तथा किसानों की भूमि का सुधार भी हो जाये।

महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, जोधपुर ने अवगत कराया कि राज्य स्तरीय मसलों पर निर्णय के लिये उनके यहां एस.ओ.पी. (Standard Operation Procedure) की पालना करनी होती है। साथ ही यह भी कहा कि उनके द्वारा बोर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी की बाध्यता तय नहीं की गई है।

बाद विचार-विमर्श मुख्य सचिव निर्देश दिये गये कि जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक, बीकानेर अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक किसानों को भूमि सुधार हेतु जिप्सम के परमिट जारी करने के संबंध में गाईडलाईन तैयार कर राज्य सरकार की मंशा अनुसार शीघ्र निर्णय लेवे।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


संयुक्त शारान सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.14(1)खान/ग्रुप-2/2011-पार्ट


जयपुर, दिनांक

1-9 JUN 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान, जोधपुर -
5. जिला कलक्टर, बीकानेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर -
7. शासन संयुक्त सचिव, खान विभाग, जयपुर
8. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर -
9. अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बीकानेर -
10. अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खान विभाग, बीकानेर -
11. खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बीकानेर
12. रक्षित पत्रावली।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED

22/2/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA

संयुक्त शारान सचिव

48

बैठक कार्यवाही विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से उचित दूरी पर किसानों को भूमि सुधार हेतु खेतों से खनिज जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में आज दिनांक 15.06.2017 को प्रातः 11.00 बजे बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए -


- 1- श्री सवाई सिंह गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ।
- 2- श्री ओ.पी.सहारण, उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला ।
- 3- श्री जय प्रकाश जाखड़, खनि अभियन्ता, बीकानेर ।


बैठक के प्रारम्भ में खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 24.05.2017 को श्रीमान् मुख्य शासन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गयी । उक्त बैठक में मुख्य शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर जिप्सम के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में गाईड लाईन तैयार कर राज्य सरकार की मंशा के अनुसार परमिट जारी करने हेतु निर्णय लेवे ।


इस सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी । बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 01 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कोई परमिट जारी नहीं किये जायेंगे तथा 01 किलोमीटर से अधिक की दूरी हेतु जारी किये जाने वाले परमिट क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु निम्न शर्तें अधिरोपित की जायेगी -

- 1- परमिटधारक खातेदार प्रातः 6.00 बजे से सायं 6.00 बजे के दौरान ही खनन कार्य करेंगे ।
- 2- परमिट क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करेंगे उनके फोटोयुक्त पहचान पत्र संबंधित पुलिस थानों में जमा करवायेंगे एवं प्रति खान विभाग में जमा करवायेंगे ।
- 3- परमिट धारक परमिट क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवा कर सत्यापित प्रति खान विभाग में प्रस्तुत करेगा ।
- 4- परमिट क्षेत्र के लिए जारी किये गये परमिट के स्वीकृति आदेश की प्रति खनन कार्य के दौरान मांके पर उपलब्ध रहेगी ।
- 5- परमिट क्षेत्र में सतह से 2 मीटर तक की गहराई तक खनिज जिप्सम निकालने के पश्चात् भूमि का पुनर्भरण किया जाना सुनिश्चित करेगा ।
- 6- परमिट ऑथोरिटी द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर परमिट के सम्बन्ध में अधिरोपित शर्तों एवं निर्बंधों की पालना सुनिश्चित की जायेगी । ।
- 7- परमिटधारी खातेदार केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सुरक्षा के सम्बन्ध में अधिरोपित शर्तों की पालना में सुनिश्चित करेगा ।
- 8- परमिटधारी खातेदार सीमा सुरक्षा बल/सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर परमिट सम्बन्धी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करवाएगा ।
- 9- उपरोक्त शर्तों की किसी भी रूप में अवहेलना पाये जाने पर बिना किसी सूचना के परमिट क्षेत्र में खनन कार्य रोकने एवं सक्षम स्तर से परमिट निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।


(आनिल गुप्ता) 15/6/17
जिला कलक्टर,
बीकानेर


(सवाई सिंह गोदारा)
जिला पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर


(ओ.पी.सहारण) 15/6/17
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)
INDIA